

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

17th November 2017

Public Notice

(Against Fraudulent Activities of elements inimical to economic and social well being of general public- fraud and phishing in the name of PFRDA/NPS)

It has come to notice that some persons are demanding large sums of money by calling general public with a promise to release funds stated to be lying under NPS/PFRDA. It has also come to our notice that some persons, actually believing such claims, are willing to pay large sums (about Rs.29,999/-) to such elements. This is to inform general public that PFRDA is a Regulatory Body and does not ever call for any sum for release of funds to any individual from their Permanent Retirement Account (PRAN) maintained with the Central Record keeping Agency. It is also informed that PFRDA has appointed entities such as Points of Presence, Aggregators etc. which are banks and non banking financial companies which are authorized to interact with subscribers for a prescribed fee which is much less than what is being asked for by the fraudsters.

PLEASE BEWARE. PFRDA NEVER SENDS ANY EMAIL/ MESSAGE PROMISING LARGE SUMS FOR PAYMENT OF FEE/ CHARGE, ANY SUCH COMMUNICATION IS SENT WITH THE INTENTION TO DEFRAUD YOU. INFORM POLICE IMMEDIATELY.

In case any person/ entity calls you with the promise to pay large sums from PFRDA/NPS, you are advised to:

- i. Not to believe any caller/email / letter promising to release funds from PFRDA/NPS;
- ii. Not to pay any amount to any unauthorized person/ entity;
- iii. Check the identity/credential of the caller/email;
- iv. Inform local police immediately giving the callers' name, telephone number, email ID, address etc.

Issued in General Public interest.

Rakesh Sharma

Chief General Manager

For and on behalf of PFRDA



पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण,

बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

17 नवंबर 2017

जनसूचना

(जनसाधारण के आर्थिक तथा सामाजिक हित विरोधी तत्वों के छलयुक्त क्रियाकलापों के विरुद्ध-पीएफआरडीए/एनपीएस के नाम पर धोखा तथा जालसाजी)

यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति आम जनता से एनपीएस/पीएफआरडीए के अंतर्गत आने वाले निधि के भुगतान के वादे के साथ अधिक धनराशि की मांग कर रहें हैं। हमें यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों द्वारा, ऐसे दावों पर वास्तव में विश्वास करते हुए ऐसे तत्वों को बड़ी धनराशि (लगभग रुपये 29,999/—) का भुगतान किया जा रहा है। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि, पीएफआरडीए एक विनियामक निकाय है तथा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जो कि केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी द्वारा अनुरक्षित हैं, से निधि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार कि धनराशि की मांग करते हुए कॉल नहीं किया जाता। यह भी सूचित किया जाता है कि पीएफआरडीए द्वारा संस्थाओं कि नियुक्ति की गई है जैसे उपस्थिति अस्तित्व (PoP), संकलनकर्त्ता (Aggregator) आदि जो कि बैंक तथा गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जिन्हे निर्धारित शुल्कों के साथ अभिदाताओं से संप्रेषण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जो कि जालसाजों द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में काफी कम है।

कृपया सावधान रहें, पीएफआरडीए अधिक शुल्क के भुगतान /प्रभार हेतु कभी कोई ई-मेल/संदेश नहीं भेजता। इस प्रकार का संप्रेषण आपको घोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। श्रीघ पुलिस को जानकारी दें।

यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति/संस्था आपको पीएफआरडीए/एनपीएस के द्वारा अधिक राशि देने के वादे के साथ कॉल करे तो आपको सलाह दी जाती है कि:

- i) किसी भी कॉलकर्ता/ई—मेल/पत्र जो कि पीएफआरडीए/एनपीएस द्वारा निधि प्रदान करने का वादा करता हो, पर विश्वास न करें।
- ii) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति / संस्था को किसी प्रकार की राशि का भुगतान न करें।
- iii) कॉलकर्ता / ई-मेल की पहचान की जांच करें।
- iv) कॉलकर्त्ता के नाम, टेलिफोन नंबर, ई—मेल आईडी तथा पते आदि की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस को श्रीघ सूचना दें।

जनहित में जारी।

(1002) राकेश शर्मा मुख्य महाप्रबंधक पीएफआरडीए के लिए तथा उसकी ओर से